न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सत्य नारायण– । (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 34 / 2023 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023 / 346
दायर दिनांक :– 12.04.2023 निर्णय दिनांक :– 11.05.2026

1. अनिल कुमार पुत्र बाबूलाल निवासी वार्ड नं. 1 हाउस नं. 251 सिवानी तहसील सिवानी जिला भिवानी (हरियाणा)

अप्रार्थी / वादी

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र उदमीराम जाति गोयल निवासी झूंपाकलां तहसील सिवानी जिला भिवानी
2. कुलदीपसिंह पुत्र पतराम विश्नोई म. नं. 04 वार्ड नं. 02 झूंपाकला तहसील सिवानी जिला भिवानी
3. कनूराम पुत्र सोहनलाल विश्नोई निवासी झूंपाकला तहसील सिवानी जिला भिवानी
4. राजीव कुमार पुत्र कनूराम विश्नोई निवीस झूंपाकला 120 तहसील सिवानी जिला भिवानी
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

प्रार्थी / प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

उपस्थित :–1. श्री विजय तंवर अधिवक्ता वादी
2 श्री सुभाष विश्नोई अधिवक्ता
प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 ता 4

–:: निर्णय ::–

अधिवक्ता प्रार्थीगण / प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता प्रस्तुत कर निवदेन किया कि वादी द्वारा हस्तगत वाद ग्राम उदट के खसरा नम्बर 182 / 7 रकबा 290 बीघा के बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा हेतु धारा 188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है। उक्त वाद वादी क्षेत्राधिकारिता व श्रवणाधिकारिता से बाधित है क्यों कि वाद की विषय वस्तु इकरारनामा है एवं इकरारनामा के बाबत न्यायालय हाजा को राजस्व वाद में श्रवण करने का श्रेत्राधिकार नहीं है। यह लिखना भी न्यायोचित होगा कि वादी द्वारा अपने वाद में घोषणा का अनुतोष नहीं चाहा है केवल व केवल मात्र निषेधाज्ञा की मांग की है विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि बिना घोषणा के निषेधाज्ञा की डिक्री जारी नहीं की जा सकती है। अविवादित रूप से इस्तदुआ में घोषणा की डिक्री नहीं चाही गई है इसलिए वाद विधिक रूप से बाधित है। वादी द्वारा वाद की विषय वस्तु के बाबत अपने पक्ष में इकरारनामा होना बताया है इकरारनामें की पालना के विवाद के बाबत श्रवण करने का क्षेत्राधिकार केवल व केवल सिविल न्यायालय को प्राप्त है। जहां इकरारनामें की सत्यता, इकरारनामें का निष्पादन एवं इकरारनामें की ग्रहिता, परिसीमा एवं वाद मूल्य बाबत विनिश्चय किया जाना होता है। उपरोक्त बिन्दुओं के बाबत न्यायालय हाजा

Satya
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

परिसीलन नहीं कर सकत है इसलिए वाद वादी क्षेत्राधिकारिता से बाधित है। वाद को सम्यक रूप से पढने से प्रथम दृष्ट्या विषय वस्तु इकरारनामें की पालना है जिसके बाबत् धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अनुसार क्षेत्राधिकारिता बाधित है। वादी विवादग्रस्त भूमि का खातेदार नहीं है। खातेदारी के अभाव में बाद पोषणीय नहीं है। द्वितीय खातेदार के विरूद्व गैर खातेदार बिना घोषणा के निषेधाज्ञा की मांग नहीं कर सकता है। वाद वादी बोगस ववाद है तथा बोगस वाद के लिए न्यायालय का बहुमूल्य समय जाया किया जाना कतई उचित नहीं है। प्रार्थी पत्र प्रार्थी स्वीकार कर वाद को इसी स्तर पर खारिज किये जाने का आदेश फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का जवाब प्रस्तुत कर बताया कि वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपने कब्जे के आधार पर बेदखली के विरूद्व वाद पेश किया है। प्रतिवादी को प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर दावे का जवबा पेश करना वाहिए जिससे कि क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार की तनकी कायम की जाकर इस संबंध में प्रश्न तय कर गुणावगुण पर निर्णय किया जा सकता है। वादी द्वारा इकरारनामा के आधार पर घोषणा का दावा पेश नहीं किया गया है। वादी का वादग्रस्त भूमि के मौके पर निर्बाध कब्जा काश्त है तथा प्रतिवादी द्वारा वादी को उसके कब्जा काश्त से बेदखल करने के प्रयास करने पर वादी द्वारा प्रतिवादी के विरूद्व स्थायी निषेधाा का वाद पेश किया है। वादग्रस्त भूमि के मौके पर कब्जा काश्त है उसी अनुसार वादी को उसकी कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करने के प्रयास पर पैदा हुए वादकारण पर यह वाद पेश किया है। वादी का वाद विधि द्वारा पोषित है। प्रतिवादी द्वारा उक्त वाद का पदवार जवाबदावा पेश किया जाना चाहिए था, जिससे वादग्रस्त बिन्दुओं पर न्यायालय द्वारा निर्णय किया जा सकता है। प्रतिवादी स्वयं वाद को लम्बा करने की गरज झूठे आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अनवान वाद में फिट नहीं बैठता है तथा विधि द्वारा बाधित होने से चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमावें।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न वाद पत्र, प्रार्थना–पत्र, जवाब प्रार्थना–पत्र, जमाबंदी, अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के प्रार्थना–पत्र से संबंधित है। प्रकरण में तथ्यों के कानूनी बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण से पूर्व सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> ***11. Rejection of plaint.-*** *The plaint shall be rejected in the following cases:—*
> *(a) where it does not disclose a cause of action;*
> *(b) where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court, fails to do so;*
> *(c) where the relief claimed is properly valued, but the plaint is written upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the court to supply the requisite stamp paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so;*
> *(d) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law;*
> *(e) where it is not filed in duplicate;*

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

(f) where the plaintiff fails comply with the provision of Rule 9.

> ***Provided that** the time fixed by the court for the correction of the valuation or supplying of the requisite stamp papers shall not be extended unless the court, for reasons to be recorded, is satisfied that the plaintiff was prevented by any cause of an exceptional nature from correcting the valuation or supplying the requisite stamp papers, as the case may be within the time fixed by the court and that refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff.*

1. इस संदर्भ में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा Smt. V. Bragan Nayagi vs R. R. Jeyaprakasam प्रकरण में दिनांक 01.04.2015 को दिये गये निर्णय के प्रासंगिक पैरा का उद्धरण प्रासंगिक है जो कि इस प्रकार है:–

> **While filing an application under Order 7 Rule 11 of the Code of Civil Procedure, the Court is bound to see whether the case on hand falls within six limbs stated in the said Rule. If the suit is not falling under any of those categories, the plaint cannot be rejected.**

2. सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 एवं माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा Smt.V.Bragan Nayagi vs R.R.Jeyaprakasam प्रकरण में दिनांक 01.04.2015 को दिये गये निर्णय में बताये गये 06 आधारों के उक्त साधारण पठन से ज्ञात होता है कि किसी वाद पत्र को निम्न 06 आधारों पर खारीज किये जाने के प्रावधान बनाये गये हैं:–
    1. वाद पत्र द्वारा वाद हेतुक का प्रकटीकरण नहीं किया जाना।
    2. वाद पत्र में अनुतोष के मूल्य की वास्तविक्ता से कम गणना करना तथा निर्धारित समय के अवसर के तहत उक्त त्रुटिपूर्ण गणना को दुरूस्त नहीं करना।
    3. वाद पत्र में अनुतोष के मूल्य की सटीक गणना करना परन्तु उसी अनुरूप उचित स्टाम्प वाद पत्र पर नहीं लगाना तथा निर्धारित समय के अवसर के तहत उक्त त्रुटिपूर्ण स्टाम्प की कमी को दुरूस्त नहीं करना।
    4. वाद पत्र के अभिकथनों के आधार पर वाद–पत्र का विधि द्वारा वर्जित पाया जाना।
    5. वाद पत्र का बहु प्रतिलिपियों में प्रस्तुत नहीं किया जाना।
    6. वादी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–9 के प्रावधानों की अनुपालना करने में विफल होना।

इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तो एवं विधिक प्रावधान के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी ने उक्त वाद इकरारनामा दिनांक 03.09.2011 के आधार पर प्रस्तुत किया है। इकरारनामा केवल मात्र दो गवाह्न के हस्ताक्षर पर निष्पादित किया गया है। वादी उक्त वादग्रस्त भूमि का खातेदार नहीं होने के बावजूद भी अस्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्व पेश किया है। वादी के उक्त वाद में वादकारण उत्पन्न नहीं होता है। इकरारनामा प्रभाव में है या नहीं इस संबंध में वादी को सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। परन्तु वादी उक्त वाद के जरिये प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का हकदार नहीं है। प्रकरण का निर्णयन गुणावगुण के आधार पर किया जाना अपेक्षित प्रतीत नहीं होता है। वादी का वाद सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत प्रकरण विधि द्वारा वर्जित की श्रेणी के अन्तर्गत प्रतीत होता है। उक्त दावा सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–7 नियम–11 के तहत खारिज किये जाने की श्रेणी के अन्तर्गत प्रतीत होने के आधार पर खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र सिविल प्रकिया संहिता–1908 के आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.)

(सत्य नारायण–I, आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सत्य नारायण–। (आर.ए.एस.)

1. अनिल कुमार पुत्र बाबूलाल निवासी वार्ड नं. 1 हाउस नं. 251 सिवानी तहसील सिवानी जिला भिवानी (हरियाणा)

अप्रार्थी / वादी

बनाम

1. अशोक कुमार पुत्र उदमीराम जाति गोयल निवासी झूंपाकलां तहसील सिवानी जिला भिवानी
2. कुलदीपसिंह पुत्र पतराम विश्नोई म. नं. 04 वार्ड नं. 02 झूंपाकला तहसील सिवानी जिला भिवानी
3. कनूराम पुत्र सोहनलाल विश्नोई निवासी झूंपाकला तहसील सिवानी जिला भिवानी
4. राजीव कुमार पुत्र कनूराम विश्नोई निवीास झूंपाकला 120 तहसील सिवानी जिला भिवानी
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

प्रार्थी / प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

मुकदमा संख्या :– 34 / 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे व हाजिर विजय तंवर मिनजानिब मुदई व सुभाष विश्नोई मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है कि प्रार्थना पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है। नीचे

मुतालिक	बाबत्
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर वसूल याबी तक	फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11.05.2026 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.) सत्यमेव जयते

Satya..

(सत्य नारायण–। आर.ए.एस.)

सहायक कलक्टर

बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।